



अभिलेख उपस्थापित।

1-12-22 सोनी देवी पति स्व० संजय कुमार वर्मा, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं०-147, खाता संख्या-56, प्लॉट संख्या-1767, रकवा 0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि संजय कुमार पिता तुलसी महतो, निवास स्थान ग्राम-हेन्देगढ़ा, पोस्ट-जरवा, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22024459 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-477/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2539/रा० दिनांक 08.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1808 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अ०पि०व० के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत फागू तेली वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 9.4 एकड़ है। पंजी-11 के अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.30 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-167/XIII पर देवकी राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदिका के ससुर हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदिका घरेलु बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 28डी० तथा मौजा-हुड़हुड़, खाता संख्या-36 में लगभग 50डी० भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	व. टिप्प.
1	2	
	<p>प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सोनी देवी पति स्व० संजय कुमार वर्मा, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं०-147, खाता संख्या-56, प्लॉट संख्या-1767, रकवा 0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि संजय कुमार पिता तुलसी महतो, निवास स्थान ग्राम-हेन्देगढ़ा, पोस्ट-जरवा, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 22/11/22 अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	